3

शिक्षार्थी सहभागिता

अक्षय कुमार दीक्षित *

दीक्षित जी जब अपनी कक्षा में पहुँचे तो हैरान रह गए। कहाँ तो उन्होंने योजना बनाई थी कि हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और कहाँ इस कक्षा में अस्सी बच्चे बैठे थे, जिन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना हिमालय की चढ़ाई जितना कठिन लग रहा था।

मीरा जी की कक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक आदर्श उदाहरण है। उनकी कक्षा में कोई बच्चा असम का है तो कोई तमिलनाडु का, कोई पढ़ाई में इतना तेज़ है कि मीना जी के पढ़ाने से पहले ही सब कुछ पढ़ लेता है, दूसरी ओर ऐसा बच्चा भी है जिसने दाखिला ही सीधे तीसरी कक्षा में लिया है, पर अभी उसे ढंग से पढ़ना भी नहीं आता।

सलमान जी की कक्षा में दो बच्चे ऐसे हैं जिनके कारण पूरी कक्षा परेशान रहती है, उनकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा भी है जिसके हाथ में जन्म से ही कुछ समस्या है, वह ठीक से पेंसिल तक नहीं पकड़ सकता।

ऐसे ही अनेक उदाहरण आपको अपने आस-पास दिखाई देंगे। इन लोगों में आपको अपनी समस्याओं की झलक नज़र आएगी। लेकिन इन सभी लोगों में एक बात समान है। इन सभी ने समस्याओं से घबराकर अपनी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से समझौता नहीं किया, बल्कि इन समस्याओं का समाधान खोजा। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन सभी ने जो समाधान खोजे, उन समाधानों में भी एक बात समान थी। इन सभी ने पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सहभागिता को अपना औज़ार बना लिया। इस औज़ार से ना केवल ऊपर बताई गई समस्याएँ गायब हो गईं, बल्कि अनेक ऐसी समस्याओं का समाधान भी निकल आया, जो अज्ञात थीं। तो आखिर ये जादू की छड़ी है क्या!

बच्चों की सहभागिता क्या है?

सहभागिता का सीधा सादा अर्थ है – हिस्सा लेना, शिक्षार्थी सहभागिता का अर्थ है शैक्षिक

* *शिक्षा सलाहकार,* सी-633, जे.वी.टी.एस. गार्डन, छत्तरपुर एक्स्टेंशन, नयी दिल्ली-110074

प्रक्रियाओं में शिक्षार्थियों की बराबरी की भागीदारी। हो सकता है कि किसी के मन में सवाल उठे कि जब शिक्षक कुछ पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं तब दोनों की ही तो भागीदारी होती है। यह तो हर कक्षा की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें अलग क्या है? शिक्षार्थी सहभागिता का सही अभिप्राय है–शैक्षिक निर्णयों में और कार्यों में बच्चों की सक्रिय हिस्सेदारी।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की धारा 12 के अनुसार –

1. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चे अपना दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हैं, उन्हें उन सभी मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी हो जो मुद्दे उन्हें प्रभावित करते हैं। बच्चे की आयु और परिपक्वता के अनुसार उस बच्चे के विचारों को उचित महत्त्व दिया जाए।
2. इस उद्देश्य के लिए बच्चे को ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, जिसमें उनकी बातों को सुना जाए।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक, बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है और अपनी उम्र और परिपक्वता के अनुसार उनकी राय को महत्त्व दिया जाना चाहिए।

इसका यह मतलब है कि बच्चों को स्कूल और कक्षा के फ़ैसलों में, परिवार के फ़ैसलों में, सांस्कृतिक और खेल संगठनों आदि के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मिलकर कार्य करने का अधिकार है। उचित जानकारी की तलाश करने और उसे प्राप्त करने का अधिकार है। इन अधिकारों के द्वारा बच्चे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए अपने स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकेंगे।

इन बातों का निचोड़ यह है कि –

1. सभी बच्चे विचार प्रकट करने में सक्षम हैं।
2. उन्हें अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट करने का अधिकार है।
3. उन्हें अधिकार है कि उनकी बात उन सभी मुद्दों पर सुनी जाए, जो उन्हें प्रभावित करते हैं।
4. उन्हें अधिकार है कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए।
5. इन कार्यों में उनकी आयु और परिपक्वता को ध्यान में रखा जाए।

बच्चों की सहभागिता को परिभाषित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। आगे दी गई परिभाषा अपने आप में संपूर्ण कही जा सकती है।

''बच्चों की भागीदारी एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों पर उनकी सक्रिय भागीदारी सम्मिलित है। इसके लिए बड़ों और बच्चों के बीच संवाद और जानकारियों का आदान-प्रदान शामिल होता है। यह आदान-प्रदान आपसी आदर और शक्तियों के समान विभाजन पर आधारित होता है। वास्तविक सहभागिता बच्चों को प्रक्रिया और परिणाम, दोनों को आकार देने, बदलने या बनाने की शक्ति देती है। सहभागिता की प्रकृति को निर्धारित करने में बच्चों की स्वयं की विकासशील क्षमता, अनुभव और रुचियों से संबंधित मुद्दे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।''

किसे शिक्षार्थी सहभागिता नहीं कह सकते

दुनियाभर में बच्चों की तस्वीरें सबसे ज़्यादा खींची जाती हैं लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में भी कहा गया है, "बच्चों की आवाज़ और अनुभवों को कक्षा में अभिव्यक्ति नहीं मिलती, प्राय: केवल शिक्षक का स्वर ही सुनाई देता है। बच्चे केवल अध्यापक के सवालों का जवाब देने के लिए या अध्यापक के शब्दों को दोहराने के लिए ही बोलते हैं। कक्षा में वे शायद ही स्वयं कुछ करके देख पाते हैं। उन्हें पहल करने के अवसर भी नहीं मिलते हैं।"

जब कक्षा में बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने की बात की जाती है तो उन्हें गुड्डे-गुड़ियों की तरह सजा दी जाती है। लेकिन क्या किसी मंच पर अभिनय करते बच्चे वास्तविक सहभागिता का उदाहरण हैं? आइए देखते हैं कि हम किसे शिक्षार्थी सहभागिता नहीं कह सकते।

- बच्चों का किसी समारोह में उपस्थित होना – यह केवल सजावट है, सहभागिता नहीं है।
- जब सभी निर्णय वयस्क के रहे हों और बच्चों से केवल परामर्श किया जा रहा हो, तब वह सहभागिता नहीं है।
- यदि उनको बहलाकर ऐसे फैसले निकलवाए जाते हैं जो सही मायने में उनके खुद के नहीं हैं, न ही उनके स्वयं के अनुभव पर आधारित हैं, तो यह सहभागिता नहीं है।
- जब उनसे 'बच्चों' के प्रतिनिधि के रूप में अपनी राय देने के लिए कहा जाता है जबकि ना तो उन्हें ठीक से मुद्दों की जानकारी दी जाती है और न ही उन्हें अपने साथियों के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तो इसे महज़ दिखावटी प्रयास कहेंगे, सहभागिता नहीं।

किसी कार्य में शिक्षार्थी सहभागिता के 8 स्तर होते हैं–

1. मात्र जोड़-तोड़
2. केवल सजावटी
3. केवल प्रतीकात्मक
4. सौंपा गया लेकिन पहले सूचित किया गया।
5. परामर्श लिया गया, सूचित किया गया।
6. वयस्क द्वारा शुरू किया और निर्णय को बच्चों के साथ साझा किया गया।
7. कार्य बच्चे द्वारा शुरू और निर्देशित किया गया।
8. बच्चे द्वारा शुरू किया गया, वयस्कों के साथ निर्णय को साझा किया गया।

सार्थक भागीदारी के लिए कम से कम कुछ सीमा तक अधिकारों को साझा करना और कम से कम कुछ प्रक्रियाओं में बच्चों की हिस्सेदारी शामिल होनी चाहिए। यहाँ दी गई तालिका में शिक्षार्थी सहभागिता के 1 से लेकर 8 स्तर दिए गए हैं। एक से लेकर चार स्तरों को सहभागिता नहीं कहा जा सकता। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 5 से 6 तक उपयुक्त हैं। स्तर 7 और 8 थोड़े बड़े बच्चों और युवाओं के लिए ही उपयुक्त हैं।

यहाँ हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि भागीदारी का मतलब स्वायत्तता नहीं

है। भागीदारी का मतलब यह नहीं है कि सारे अधिकार बच्चों के हाथों में सौंप दिए जाएँ। बच्चे जो चाहते हैं, उसे हमेशा नहीं माना जा सकता, वयस्कों पर यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि वे सुरक्षित, स्वस्थ और शिक्षित बनें। इसलिए इस बारे में कुछ सीमाएँ तो निर्धारित करनी ही होंगी। कुछ आर्थिक और व्यवहारिक दिक्कतें भी हो सकती हैं जिनके कारण हो सकता है कि बच्चों की इच्छाओं पर बंधन लगाने पड़ें। हम बच्चों को ऐसी गलतियाँ नहीं करने दे सकते जिन्हें सुधारा ना जा सके और जिनके कारण उन्हें या दूसरों को कोई खतरा हो जाए। इसलिए शिक्षार्थी–सहभागिता में वयस्कों की भूमिका को कम नहीं आँका जा सकता।

शिक्षार्थी सहभागिता की ज़रूरत क्या है?

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता की ज़रूरत के पक्ष में अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं। इसके बारे में एक उदाहरण देखते हैं–

मिथलेश जी अपनी कक्षा में पहुँचे और बच्चों से बोले, ''बच्चों, हम इस कक्षा में रोज़ 5 घंटे बिताते हैं, यानी हफ़्ते में 30 घंटे हम इस कमरे में रहते हैं, जिस जगह हम इतना समय बिताते हैं, वह जगह आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए?''

बच्चों ने बताना शुरू कर दिया– जगह साफ़ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, हवादार, रोशनी से भरपूर आदि–आदि... फिर मिथलेश जी ने उनके उत्तरों के कारण पूछे, बच्चों ने कारण बताए ....

फ़िर मिथलेश जी ने कहा–मेरा भी मन है कि क्लास साफ़ और सुंदर हो ... लेकिन ये काम मैं अकेले तो कर नहीं सकता, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद कौन–कौन कर सकते हैं?

लगभग पूरी कक्षा के हाथ खड़े हो गए। फिर मिथलेश जी ने बच्चों में से ही कुछ को कहा कि वे हर बच्चे से पूछकर सूची बना लें कि कौन बच्चा कक्षा के लिए क्या करना चाहता है?, फिर उन्होंने बच्चों द्वारा बताए गए कार्यों के आधार पर उनके समूह बना दिए। उनकी कक्षा के बच्चे पहली बार समूह में कार्य नहीं कर रहे थे इसलिए उनको पता था कि समूह में काम करने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ़ अपने समूह की ही मदद करनी है। प्रत्येक बच्चा ज़रूरत पड़ने पर दूसरे समूह में कार्य कर सकता था या किसी सामान को लाने या किसी कार्य में अपनी सेवाएँ दे सकता था।

इस उदाहरण में हमने देखा कि मिथलेश जी ने बच्चों के सामने एक आवश्यकता को प्रस्तुत किया, बच्चों को यह समझने में मदद की कि जो प्रोजेक्ट वे सामने रखने वाले हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, बच्चों की बातों को सम्मान दिया, आदेश देने के बजाय सहयोग माँगा और बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें स्वयं ज़िम्मेदारियाँ ग्रहण करने में सहायता दी। बच्चों ने आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान किया, चूँकि वे स्वयं अपनी कक्षा के लिए कार्य कर रहे थे इसलिए कक्षा के प्रति उनके अपनेपन में मज़बूती आ रही थी। मिथलेश जी केवल निरीक्षक नहीं थे, बल्कि वे भी बच्चों

के साथ बराबर कार्य कर रहे थे इसलिए वे और बच्चे एक दूसरे को और बेहतर समझ पा रहे थे। बच्चों को अहसास हो रहा था कि इनके 'सर' को उनकी चिंता है, उनके 'सर' उनसे प्यार करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। दृष्टिकोण के इस बदलाव का असर उस समय भी नज़र आने लगा जब वे कॉपी में कुछ काम कर रहे होते या जब मिथलेश जी उन्हें पुस्तक से पढ़ा रहे होते। इसी तरह कार्य करते-करते कुछ महीनों के बाद मिथलेश जी ने अनुभव किया कि उनकी कक्षा के बच्चे अब तब ही छुट्टी लेते हैं जब कोई बहुत ज़रूरी बात हो। उन्हें स्कूल आना अब अच्छा लगने लगा है।

इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि शिक्षार्थी सहभागिता द्वारा –

- बच्चे अपने समुदाय के मूल्यों और समाज में बच्चों के अधिकारों के प्रकाश में, अपनी इच्छाओं और ज़रूरत के बारे में स्वयं और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं।
- वो अन्य लोगों की ज़रूरतों पर विचार करना और 'सामाजिक कौशल' हासिल करना सीखते हैं क्योंकि वे मिलकर बहस करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और कार्य करते हैं।
- प्रत्येक बच्चे को देखभाल, सम्मान, गरिमा और आराम का अधिकार है। हर बच्चे की कुछ विशेष विकास संबंधी ज़रूरतें होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक बच्चा चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। जब उसकी

प्रभावी और वास्तविक सहभागिता के लक्षण

परियोजना या कार्य कैसा हो?

- मुद्दा बच्चों के लिए वास्तविक रूप से प्रासंगिक हो।
- कुछ परिवर्तन लाने में सक्षम हो।
- बच्चों के रोज़मर्रा के अनुभवों से सीधे-सीधे संबंधित हो।
- पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराया गया हो।
- बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा या संरक्षण देती हो।
- स्पष्ट लक्ष्य हों और बच्चे लक्ष्यों के साथ सहमत हों।

कार्य में निहित कुछ मूल्य –

- ईमानदारी- परियोजना और प्रक्रिया के बारे में 'बड़े' बच्चों के साथ इमानदारी बरतें।
- समावेशी-इच्छुक बच्चों के सभी समूहों की भागीदारी के लिए समान अवसर हों।
- सम्मान- किसी भी उम्र, योग्यता,जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को बराबर सम्मान मिले।
- वास्तविक फ़ैसले लेने और विकल्प चुनने के कौशल में बच्चों को सक्षम बनाने के लिए उनके साथ सूचनाएँ साझा की जाती हों।
- बच्चों के विचारों को गंभीरता से लिया जाता हो।
- बच्चों की भागीदारी स्वैच्छिक प्रकृति की हो।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की भागेदारी हो।

कैसे क्रियान्वित किया जाए?

- उद्देश्य की स्पष्टता हो।
- बच्चे के अनुकूल स्थान, भाषा और संसाधन हों।
- बच्चों की भागीदारी जल्द से जल्द संभव स्तर से हो।
- आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो।
- भागीदारी के तरीके बच्चों के सहयोग से विकसित किए गए हों।
- जहाँ ज़रूरी हो वहाँ वयस्कों द्वारा सहयोग दिया जाए।

बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वह उदासीन और निराश हो जाता है। शिक्षार्थी सहभागिता से बच्चों की विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से ज़िम्मेदारी निभाने, सम्मान और पहचान प्राप्त करने संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है जिससे उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। शिक्षार्थी सहभागिता द्वारा उन्हें यह अनुभव होता है कि दूसरे लोगों को उनकी परवाह है। शिक्षार्थी सहभागिता बच्चों को कुछ ऐसा करने के अवसर देती है जो उनकी नज़र में महत्त्वपूर्ण होता है, ना कि उन पर लादा गया होता है।

- चूँकि बच्चे उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जिसके द्वारा निर्णय लिए गए हैं इसलिए वे उन फ़ैसलों की सफ़लता के लिए अधिक प्रतिबद्ध होते हैं।
- जब हम बच्चों की सहभागिता को स्वीकार करने लगते हैं तब बच्चे नीतियों और कार्यों को आकार देने में मदद कर सकते हैं, बच्चों से प्राप्त अंतर्दृष्टि, व्यस्कों को अपनी बदलती ज़रूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद कर सकती है, हम क्या अनुभव कर रहे हैं या क्या उम्मीद कर रहे हैं, वह उससे अलग हो सकता है जो बच्चे वास्तव में अनुभव कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुभव उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों और रुचियों पर आधारित होते हैं, इसलिए वे ज़रूरतें बच्चों द्वारा ही अच्छी तरह व्यक्त की जा सकती हैं, उदाहरण के लिए, हो सकता है कि बच्चे कक्षा में डेस्कों के बजाय दरी पर बैठना पसंद करें क्योंकि दरी पर बैठना उन्हें ज़्यादा आरामदायक लगता हो।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पृष्ठ 16 पर शिक्षार्थी सहभागिता के बारे में लिखा है – बच्चों की भागीदारी एक बड़े लक्ष्य को पाने का ज़रिया है, यह लक्ष्य है हमारी संस्कृति के समतामूलक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षी और समानता के मूल्यों में नयी जान डालने का..... यह एक ऐसा विचार है जिसे अधिगम प्रक्रिया के हर अंग से जोड़ने की और पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या के विकास में प्राथमिकता के साथ जोड़े जाने की ज़रूरत है।

- विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है- इसे तोड़ें
- शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार हैं।
- साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है।
- यदि पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें, उनकी कमियों को नहीं बल्कि उनकी शक्तियों को पहचानें।
- आपस में आदर भाव, परस्पर-निर्भरता बढ़ाएँ।

- बच्चों की सहभागिता द्वारा हम बच्चों के और निकट आ जाते हैं, बच्चे हमारे साथ अधिक अनौपचारिक हो जाते हैं और हम पर अधिक विश्वास करने लगते हैं, तब वे हमें बिल्कुल सच प्रतिक्रियाएँ देते हैं, ये प्रतिक्रियाएँ 'खुद' के बारे में और 'बचपन क्या होता है?' इस बारे में हमारी धारणा को बदल सकती हैं, आमतौर पर हम अनजाने में

हर बच्चे को एक ही पैमाने से नापने लगते हैं, हम अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकेंगे अगर हम बच्चों की विशेषताओं का सामान्यीकरण ना करें, उदाहरण के लिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि 'सभी बच्चों को उछल-कूद करना पसंद है,' शिक्षार्थी सहभागिता हर बच्ची की विशिष्ट बातों को हमारे सामने उजागर कर देती है।

- सहभागिता वाले बच्चे बड़े होकर सक्षम और जागरुक नागरिक बनते हैं, वे सहभागिता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और ज़िम्मेदारी को सीखते हैं।
- इससे सीखना-सिखाना मज़ेदार बन जाता है, मिलकर कार्य करने से जो कुछ सीखा जाता है वह स्वैच्छिक और स्थायी होता है।
- इससे विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों की विभिन्न ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, साथ ही शिक्षक का कार्य भी आसान और रोचक बन जाता है।

कक्षा में शिक्षार्थी सहभागिता कैसे?

अब तक हम जान चुके हैं कि शिक्षार्थी सहभागिता क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्या है, अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा में वास्तविक शिक्षार्थी सहभागिता का विकास करने के लिए हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना होगा।

1. सबसे ज़रूरी यह बात है कि बच्चों को यह समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट या प्रक्रिया किस बारे में है, उसका उद्देश्य क्या है और उनमें बच्चों की क्या भूमिका है, उदाहरण के लिए, यदि कक्षा में कुछ बच्चों को यह ज़िम्मेदारी दी जानी है कि वे अपने कुछ साथियों को पढ़ने में मदद करें, तो उन्हें साफ़तौर पर पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्यों?
2. निर्णय लेने के अधिकारों के वितरण में पारदर्शिता होनी चाहिए, बच्चों पर निर्णय थोपे नहीं जाने चाहिए, यदि समूह में से ही किसी बच्चे को नेता बनाया गया है तो बाकी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है।
3. बच्चों को किसी भी कार्य में जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी शामिल करना चाहिए, अगर किसी कार्य में बच्चों की सहभागिता प्रारंभ से होती है तो वे उसे बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर कार्य कर पाते हैं।
4. सभी बच्चों के साथ उनकी उम्र, स्थिति, लिंग, धर्म, योग्यता या अन्य कारकों की परवाह किए बिना समान रूप से सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए, यदि बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया गया तो कार्य से उनका जुड़ाव ख़त्म हो जाएगा, बच्चों में समानता का एक पहलू यह भी है कि सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए, कक्षा की हर गतिविधि में हाशिये पर खड़े बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
5. बिना नियमों के किसी कार्य में सफ़लता नहीं मिल सकती, नियम नहीं होंगे तो समूह

के सदस्य अलग-अलग दिशा में जा सकते हैं, इसलिए शुरू में ही बच्चों के साथ मिलकर आधारभूत नियम **(ग्राउंड रूल)** बना लेने चाहिए, उदाहरण के लिए, किसी सामग्री को बनाने के कार्य से जुड़ा नियम यह हो सकता है कि कार्य करने की जगह छोड़ने से पहले उस जगह को सभी सदस्य मिलकर पहले जैसा साफ़ कर देंगे।

6. कार्य में बच्चों की भागीदारी स्वैच्छिक होनी चाहिए, यही सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि कभी-कभी कक्षा में ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जिनमें बच्चों की बिलकुल रुचि नहीं होती, ऐसे में बच्चों को उस कार्य की ज़रूरत का अहसास करवाना और भी अधिक ज़रूरी है क्योंकि बिना रुचि के तो वे उस कार्य या क्रियाकलाप को कभी भी अपने व्यवहार में नहीं उतार सकेंगे।
7. प्रत्येक बच्चा अपने विचार और अनुभवों को लेकर सम्मान के हकदार हैं, इसलिए कभी भी किसी बच्चे की बात को जानकर उसका तिरस्कार या उपहास नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा किया गया तो फिर उस बच्चे का मन कक्षा के क्रियाकलापों से उठ जाएगा और वह आपसे भी दूरी बना लेगा।
8. बच्चों की सहभागिता केवल कार्य करने में ही नहीं, बल्कि कार्य की योजना बनाने में भी होनी चाहिए।
9. कक्षा में बच्चों के प्रति संवेदनशील वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अपनेपन और सुरक्षा का अहसास होना चाहिए, कक्षा का वातावरण सहज और हल्का-फुल्का हो, यदि कक्षा में शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर हँसते हैं, उन्हें अपने किस्से सुनाते हैं, बच्चों के अनुभव सुनते हैं, बच्चों को अपने नज़दीक आने देते हैं, तो बच्चे ऐसे माहौल में तनावमुक्त होकर अधिक अच्छा कार्य कर पाते हैं।
10. सामग्रियों के निर्माण और योजना में कुछ इस तरह बदलाव लाना चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चे मिलकर कार्य कर सकें।
11. बच्चों की क्षमताओं के विकास का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें।

शिक्षार्थी सहभागिता कहाँ संभव नहीं है?

क्या आप सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का ऐसा कोई क्षेत्र सोच सकते हैं जहाँ शिक्षार्थी सहभागिता संभव नहीं हो सकती?

सीखने-सिखाने का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बच्चों की सहभागिता नहीं हो सकती, तो अब सवाल यह उठता है कि सीखने-सिखाने के क्षेत्र हैं कौन-कौन से जिनमें हम बच्चों की सहभागिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे है? ऐसे कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

- सामग्री निर्माण
- कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया
- विषयवस्तु का चयन और निर्माण
- कक्षा प्रबंध

- उद्देश्य निर्धारित करना
- गतिविधियों का चयन, व्यवस्था और क्रियान्वयन
- कक्षा पुस्तकालय का प्रबंध
- आकलन
- बाल संगठनों का निर्माण और संचालन
- स्कूल और कक्षा में बदलाव, सुधार और नयापन लाना
- ज़रूरतमंद बच्चों की पहचान और उनकी सहायता करना आदि।

बच्चों की आवाज़ व अनुभवों को कक्षा में अभिव्यक्ति नहीं मिलती। प्रायः केवल शिक्षक का स्वर ही सुनाई देता है। बच्चे केवल अध्यापक के सवालों का जवाब देने के लिए या अध्यापक के शब्दों को दोहराने के लिए ही बोलते हैं। कक्षा में वे शायद ही कभी स्वयं कुछ करके देख पाते हैं। उन्हें पहल करने के अवसर भी नहीं मिलते हैं। किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाए पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वे अपनी आवाज़ ढूँढ़ सकें, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सकें, स्वयं करें, सवाल पूछें, जाँचें-परखें और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इस उद्देश्य से पाठ्यचर्या का पुनर्उन्मुखीकरण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए ताकि अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्कूलों की वार्षिक योजना, पाठ्यपुस्तकों की रूपरेखा, शैक्षणिक सामग्री व योजनाओं, मूल्यांकन व परीक्षा व्यवस्था में भी बदलाव लाया जा सके।

– राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005